न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 43/ 2017 जिला सीकर

1. देवी लाल
2. गणपत पुत्रान डेडाराम, जाति जाट, निवासी भढाढर, तहसील धोद, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार धोद, जिला सीकर भूमि धारक ।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम
3. गिरधारी पुत्र सुरजाराम

समस्त जाति जाट, निवासी भढाढर, तहसील धोद, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर
दिनांक 13.6.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडन्ट श्री राजीव शर्मा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनाक–3.6.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर को ग्राम भढाढर, तहसील धोद , जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.11 के खातेदार रामचन्द, औमप्रकाश पि. गोपाल हिस्सा 2/3, खसरा नम्बर 40 रकबा 3.06 के खातेदार देवीदयाल, गणपत पि. डेडाराम एवं खसरा नम्बर 706/41 रकबा 4.02 के खातेदार भजनी बेवा सुरजा, जगदीश, भागीरथ, महेन्द्र, गिरधारी पि. सुरजा ,कुल किता 3 डोटेड में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार धोद , सीकर द्वारा अभिशंषा की जाने पर उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर ने अपीलाधीन पत्र/ आदेश कमांक: 775/राजस्व/2017 दिनांक

13.6.2017 तहसीलदार धोद मु. सीकर को दिया गया कि ग्राम भढाढर , तहसील धोद के खसरा नम्बर 51, 40, 706/41 में से संलग्न् नक्शे में अंकित अनुसार रास्ते को डोटेड दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव मूल ही संलग्न् लौटाकर प्रस्ताव के संलग्न् जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ते को डोटेड लाईन के रूप में अमल दरामद करने की स्वकृति प्रदान की है ।

उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 13.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय 13.6.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रचलित रास्तों के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित किये थे और उप खण्ड अधिकारी ने प्रभावित व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये व उन्हें बिना नोटिस दिये एवं विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित भूमि में डोटेड लाईन से रास्ता कायम किये जाने का आदेश तहसीलदार को दिया है । उनका कहना था कि सामान्य न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति को उसके अधिकारों के विपरीत आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी की है । उनका कहना था कि रेकार्ड में दुरूस्ती की आज्ञा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ही पारित हो सकती है एवं रास्ते के अंकन हेतु जिसे रास्ता चाहिये उसके द्वारा धारा 251 (ए) में रास्ता कायम कराया जा सकता है । अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चिन्ना
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 706/41 रकबा 4.02 हैक्टेयर के रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 खातेदार है । विवादित भूमि में पुराना व कदीमी रास्ता मौके पर चालू है तथा नक्शा ट्रेस में डोटेड रास्ता है । रेस्पोंडेन्ट्स की भूमि में जाने वाला रास्ता खसरा नम्बर 51 व 40 की भूमि में से होकर जाता है । रेस्पोंडेन्ट् को अपनी भूमि में जाने के लिये एकमात्र रास्ता यही है, जो पूर्व से ही चालू है । विवादित भूमि में प्रचलित रास्ते को नक्शा ट्रेस में दिखाया हुआ होने से पटवारी हल्का द्वारा प्रस्ताव तैयार किये थे जिन पर भू अभिलेख निरीक्षक ने प्रचलित रास्ते को नक्शे में लाल रंग से दर्शाये होने से रास्ते को रिकार्ड में अमल

किये जाने बाबत टिप्पणी की है एवं तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि में डोटेड को प्रस्तावित रास्ते के रूप में दर्ज करने की अभिशंषा उप खण्ड अधिकारी धोद को प्रेषित की है जिस पर उप खण्ड अधिकारी धोद ने अपीलधीन आदेश पारित कर प्रस्ताव के संलग्न् जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ते को डोटेड लाईन के रूप में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार धोद को दिये हैं । उनका यह भी कहना था कि रेस्पोंडेन्टेन्ट्स का प्रार्थना पत्र उनवानी महेन्द्र व अन्य बनाम रामचन्द्र वगैहरा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर के समक्ष धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त डोटेड रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत प्रस्तुत किया था, जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 13.6.2017 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी धोद ने तहसीलदार धोद की अभिशंषा के आधार अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2017 से रास्ते को डोटेड लाईन के रूप में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम भढाढर , तहसील धोद, जिला सीकर के खसरा नम्बर 40 में से अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद ने केवल तहसीलदार धोद की अभिशंषा के आधार पर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ते को डोटेड लाईन के रूप में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को जो कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 3.04 हैक्टेयर के खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर जमाबन्दी , नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ते को डोटेड लाईन के रूप में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर दिनांक 13.6.2017 अपीलान्ट की ग्राम ग्राम भढाढर स्थित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 3.04 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय [illegible] जयपुर

का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी धोद , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त